भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/29/2021/एफ0 सी0/620 दिनांकः 26/08/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या 93/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/37699/2018)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 406/FP/UK/ ROAD/37699/2018 दिनांक 06-08-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17/03/2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन करने के उपरान्त निम्नलिखित कमियां संज्ञान में आयी है, जिनका निवारण राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. बिन्दु संख्या 01 तथा 02 के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि ना ही के0एम0एल0 फाईल पर गांवो की स्थिति अंकित की गयी है ना ही आवश्यक दस्तावेजों जैसे line map, के0एम0एल0 पर गांवों–अमगढ़ी, पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखण इत्यादि द्वारा इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त गांवों से लोगों को कोटाबाग ब्लाक तक आने के लिये 17.00 किमी कम दूरी की आवश्यकता क्यो हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा के0एम0एल0 फाईल पर गांवों अमगढ़ी, पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखण इत्यादि की स्थिति दर्शित कर आनलाईन अपलोड करें।

2. बिन्दु संख्या 04 के प्रतिउत्तर में यह सूचित किया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र प्रस्तावित दोनो प्रकरणों के लिये पृथक–पृथक है किन्तु यथानूसार के0एम0एल0 फाईल को संशोधित नहीं किया गया है तथा अभी भी पूर्व की ही भांति प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/40832/2019 के सी0ए0 क्षेत्र के साथ overlapping दर्शित हो रही है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र को के0एम0एल0 फाईल पर, संशोधन कर पुनः अपलोड करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

28/08/21

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)